Search & Seizure under income tax

Search and seizure under income tax

नमस्कार मित्रों
मैनेजमेंट कमिटी का आभारी हूं कि मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मित्रों मैं इसी विषय पर पिछले लगभग 39 वर्षों से काम कर रहा हूं। और यह मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है।
मैं आपको इस विषय की एकेडमिक डिस्कशन में ना जाकर इस विषय में जाना चाहता हूं कि एक प्रैक्टिसिंग सीए के रूप में जब कोई case हमारे पास इस प्रकार का आए तो हमें क्या करना चाहिए?
मेरा फ़ोकस इस विषय के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर ज्यादा रहेगा।
इस उद्देश्य से मैंने आर्टिकल भी तैयार किया है जो www.bpmundraca.com पर उपलब्ध है।
मैंने जो बात कही है वह सभी कोई न कोई अथॉरिटी के फैसले पर निर्भर है और उस फैसले को मैंने इसी वेबसाइट में भी डाला है। और हर एक का मैंने उसमें लिंक भी डाला है।

www.bpmundraca.com bpmundra2@gmail.com

Search and seizure under income tax

सर्च एंड सीजर की धारा 132 बड़ी महत्वपूर्ण है जिसके अंतर्गत

1. कौन से ऑफिसर सर्च के लिए ऑथराइज कर सकते हैं?
2. कौन से ऑफिसर को सर्च करने के लिए ऑथराइज किया जा सकता है?
3. वे ऑफिसर किन किन जगहों पर सर्च कर सकते हैं?
4. ऑफिसर्स को ताला, अलमारी, लॉकर, आदि टैक्स एवेजन को ढूंढने के लिए तोड़ने का एवं जप्त करने का अधिकार होता है।
5. उनको स्टेटमेंट लेने का भी अधिकार होता है। एग्जामिन ऑन ओथ का भी अधिकार होता है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन बुक्स ऑफ अकाउंट आदि में लगाने का भी अधिकार होता है।
7. इन्वेंटरी ले सकते हैं। निश्चित समय के लिए जब्ती कर सकते हैं। नोट टू रिमूव का ऑर्डर भी पास कर सकते हैं
8. सर्च का एरिया भी बढ़ा सकते हैं।
9. जिस ऑफिसर के पास jurisdiction है उसे सौंपने का अधिकार भी होता है

www.bpmundraca.com bpmundra2@gmail.com

धारा 153A जिसके छापा 31.5.2003 के बाद पड़ा उसके एसेसमेंट

1. धारा 153A के एसेसमेंट/रिएसेसमेंट उनके होंगे जिनके छापा पड़ा है जिनका नाम वारंट में है।
2. यह धारा 139,147,148,149,151 व153 पर overrides करती है
3. छापा पड़ने की डेट से पहले के 6 साल के एसेसमेंट इयर्स के एवं करंट ईयर का एसेसमेंट होगा। ध्यान रहे यह 6 साल सर्च कंप्लीट की डेट से नहीं है बल्कि कमेंसमेंट ऑफ सर्च की डेट से है।
4. जिस साल के एसेसमेंट on the date of initiation of search बाकी है वे सभी abate होंगे। यह एसेसमेंट153 r.w.s143(3) के प्रोविजन के आधार पर होंगे
5. जो एसेसमेंट इनक्रिमिनेटिंग143(3) या 143(1) के आधार पर हो चुके हैं उनका इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल के मिलने के आधार पर ही एसेसमेंट होंगे। जिस साल में कोई इनक्रिमिनेटिंग मैटेरियल नहीं है उसमें जो ओरिजिनल एसेसमेंट हुआ वही 153A में होगा। No change।
6. Section 153A is triggered only if incriminating material

धारा 153C छापा 31.5.2003 के बाद किसी अन्य के यहां पड़ा करदाता के डॉक्यूमेंट मिले उसके एसेसमेंट

1. धारा 153C के अंतर्गत उनके एसेसमेंट होते हैं जिनके रोकड़, बुलियन ज्वेलरी या अन्य कोई वैल्यू आर्टिकल या वस्तु या बुक्स आफ अकाउंट्स या कोई डॉक्यूमेंट किसी अन्य के यहां पड़े छापे में मिले।
2. जिसके छापा पड़ा है उसका एसेसिंग ऑफीसर संतुष्ट है कि उपरोक्त उस दूसरे अन्य का ही है तभी यह प्रोसिडिंग होगी।

धारा153A or 153C असेसमेंट के बाद क्या धारा 147/148 में एक्शन हो सकता है

हा

आयकर छापे व सर्वे

1. आयकर छापे व सर्वे का मुख्य उद्देश्य आयकर की चोरी को पकड़ना या चोरी को रोकना है

   a) आयकर का छापा पड़ने का मुख्य कारण इन में से एक है

      i. धारा 131(1) या 142(1) में आए नोटिस का विधिवत रुप से पालन नहीं करना। मतलब जवाब नहीं देना या संतुष्टि पूर्ण रूप से जवाब नहीं देना।

      ii. आयकर अधिकारी को यह विश्वास हो की निर्धारिती के पास अघोषित आय, संपत्ति, ज्वेलरी आदि कम से कम 50 Lacs है।

   b) सर्वे होने का मुख्य कारण है की करदाता कोई भी कारण से आयकर अधिकारियों की नजर में हो जैसे कि करदाता ने बहुत बड़ी कोई पार्टी की है या कोई शादी हुई है या कोई बहुत बड़ा कोई खर्चा किया है या करदाता ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है उस समय करदाता के अघोषित आय या खर्चे से संबंधित जांच के लिए सर्वे हो जाता है

2. आयकर सर्वे एवं सर्च में निम्न अंतर है

a) आयकर की सर्च ऑफिस या घर या कोई भी place पर हो सकती है लेकिन सर्वे जहां करदाता का बिजनेस होता है सिर्फ वही होगा अगर करदाता का घर पर करदाता का ऑफिस है या करदाता की बुक्स वह पड़ी है तो ही घर पर सर्वे होगा सर्वे में पहले केवल बिजनेस या प्रोफेशनल गतिविधियों पर ही कार्य भी की जा सकती थी अब नए नियमों के अनुसार चेरिटेबल आर्गेनाइजेशन का भी सर्वे किया जा सकता है

b) सर्च के दौरान करदाता की बुक्स, रूपए, ज्वेलरी या कोई मूल्यवान वस्तु जब्त की जा सकती है लेकिन सर्वे के दौरान केवल करदाता की बुक्स इंपाउंड की जा सकती है

c) सर्च के दौरान करदाता या कोई भी वहां पर उपस्थित की फिजिकल जांच भी की जा सकती है लेकिन सर्वे के दौरान करदाता या कोई भी वहां पर उपस्थित की फिजिकल जांच नहीं की जा सकती

d) अब नए नियमों के अनुसार सर्च के दौरान या 60 दिनों के भीतर सर्च अधिकारी प्रिंसिपल डायरेक्टर या डायरेक्टर जनरल या प्रिंसिपल डायरेक्टर या डायरेक्टर की अप्रूवल लेकर निर्धारिती की संपत्ति को छह माह के लिए अटैच कर सकता है तथा उस संपत्ति की वैल्यूएशन भी करवा सकता है

e) सर्च के दौरान दिए गए स्टेटमेंट 132 (4) मे दिए जाते हैं इसलिए अगर करदाता समय पर इनको सबूतों के साथ नहीं नकारेंगे तो जो करदाता ने स्टेटमेंट किए हैं वह मान्य हो जाएंगे और अंत तक करदाता के खिलाफ काम आएंगे लेकिन सर्वे के दौरान दिए गए स्टेटमेंट को करदाता कभी भी नकार सकते हैं।

f) सर्च करने के लिए अप्रुवल का अधिकार जॉइंट डायरेक्टर या जॉइंट कमिश्नर या इसके ऊपर के अधिकारी को पहले से ही था । सर्वे करने के लिए पहले प्रिंसिपल डायरेक्टर या डायरेक्टर या प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर की अप्रूवल लेनी पड़ती थी लेकिन अब इस का अधिकार जॉइंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर को भी सोप दिया गया है

g) जब भी किसी के सर्च होती है और उसके यहां किसी ऐसे व्यक्ति के पेपर या संपत्ति आदि मिलते हैं तो उस व्यक्ति को भी धारा 153C मे नोटिस देकर कार्यवाही की जाती है उस कार्य को करने से पहले अधिकारी को एक सेटिस्फेक्शन नोट बनाना पड़ता है अगर उस सेटिस्फेक्शन नोट को नहीं बनाया जाता है या सेटिस्फेक्शन नोट सही नहीं बनता है तो कई बार विभिन्न न्यायालयो ने पूरा असेसमेंट खारिज कर दिया है इसलिए हमको सेटिस्फेक्शन नोट की कॉपी एवं नोटशीट की कॉपी लेनी चाहिए और उससे कई बार बहुत बड़ा लाभ हो जाता है

h) जब भी सर्च होती थी तो पहले धारा 132 में सर्च होने का रिजन रिकॉर्ड करना पड़ता था और कई बार रिजन रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं होने पर assessee को इसका लाभ मिला है अब नए नियम के अनुसार रीजन रिकॉर्डेड को नहीं मागा जा सकता तथा कोई भी ट्रिब्यूनल या अधिकारी भी नहीं मांग सकता। मित्रों अब

धारा 153A मे एक नया परिवर्तन हुआ है जिसके अंतर्गत सर्च होने के बाद फाइल जब सेंट्रल सर्किल में जाती है तो पहले तो जिसकी सर्च हुई है उन सभी का असेसमेंट करना अत्यावश्यक था लेकिन अब 1.4.2017 से कर अधिकारी को रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा **50 LACS AGGREGATE** और अगर कोई रीजन है तो ही धारा 153A में कार्यवाही होगी एवं असेसमेंट किया जाएगा अगर रिजन रिकॉर्डेड प्रॉपर नहीं है तो सारे असेसमेंट की कार्यवाही निरस्त की जा सकती है तो मित्रों मेरे हिसाब से तो नए बजट में इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ है और जो अनावश्यक कार्य भी होती थी वह अब नहीं होगी या हो भी जाएगी तो निरस्त हो जाएगी कहने का तात्पर्य यह है कि अब आप सर्च होने का कारण नहीं मांग सकते लेकिन सर्च होने के बाद जो असेसमेंट की कार्यवाही होती है उसके पहले अधिकारी को असेसमेंट का कारण लिखना पड़ेगा और वह कारण आप

मांग सकते हो और अगर वह कारण समुचित नहीं है या कारण नहीं लिखा है तो सारी कार्यवाही निरस्त हो जाएगी

3. जब भी आयकर का छापा पड़ता है एक व्यक्ति को निम्न चीजों का सामना करना पड़ता है

   a) उसके पास जीतने भी लूज पेपर पड़े हैं उन पर लिखे हुए रकमो का हिसाब देना। इंसान का एक स्वाभाविक स्वभाव होता है जितने भी लूज पेपर पड़े होते हैं वह सोचता है कि यह कभी काम आएंगे। मेरे 30 साल की प्रेक्टिस के जीवन में मैंने पाया है कि वह सिर्फ उसके खुद के तकलीफ देने के अलावा कोई काम नहीं आता उसके कारण मानसिक तनाव आर्थिक हानि समय का नुकसान के इलावा कुछ भी हाथ नहीं आता। कई बार इंसान सोचता है कि यह लूज पेपर बिल्कुल सही है मैं इसका जवाब दे सकता हूं लेकिन मित्रों ज्यादा समय बीत जाने के बाद हमको याद नहीं आता कि यह पेपर किस काम का था और उसमें उसका संबंध खाता बही से दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझदारी इसी में है कि रोज के रोज लुज़ पेपर को देखकर समझ कर फाड़ देना।

b) सीऐ जब ऑडिट करें तो करदाता के स्टाफ के पास कितने लूज पेपर्स या रजिस्टर या डायरी पड़े हैं उसको भी चेक करना चाहिए। विशेष तौर पर अकाउंटेंट चौकीदार स्टोर कीपर सेल्स मैन प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट खरीद विभाग प्रोडक्शन विभाग आदि आदि में। रोज़ की रोज़ पेपर फाड़ना रोज़ की रोज़ अकाउंट्स को लिखना रोज़ की रोज़ हिसाब मिलाना अत्यावश्यक है इसकी तो करदाता को समझा कर नियम बना ले इसका नियम से पालन भी कराएं।

c) करदाता के पास जितनी भी ज्वैलरी पड़ी है इसके लिए आयकर विभाग का एक सर्कुलर भी निकला हुआ है जिसके अनुसार घर की प्रत्येक शादीशुदा महिला के लिए 500 ग्राम प्रत्येक अविवाहिता के ढाई सौ ग्राम तथा प्रत्येक पुरुष या बच्चे का 100 100 ग्राम ज्वैलरी तक कुछ भी नहीं पूछा जाएगा कि यह माना जाएगा यह घोषित है उसी सर्कुलर में यह भी उल्लेख है कि सक्षम करदाता के केस में ज्वेलरी उपरोक्त से ज्यादा भी हो सकती हैA अगर करदाता को उससे ज्यादा ज्वैलरी घोषित सिद्ध करनी है तो उसका समय-समय पर निरीक्षण करके वैल्यूएशन करवाना यह देखना की सभी प्रकार की ज्वैलरी के बिल, उसके भुगतान की रसीद, उसका भुगतान करने का सबूत उस समय की बैंक

स्टेटमेंट या बैंक की पासबुक की कॉपी करदाता के पास होना बह्रुत आवश्यक है।

d) रोज़ की रोज़ अपने बिजनेस वाली फर्मों के अकाउंटस को तो लिखना आवश्यक है ही। अपनी व्यक्तिगत खाता बही को भी रोज की रोज लिखाने की आदत डालें इसके लिए अपने अकाउंटेंट को कहे तथा अपनी ऑडिट वाली टीम को भी कहे की इसकी भी रिपोर्ट देवे

e) करदाता को गाइड करें करें कि वह अपने कंप्यूटर को भी महीने में कम से कम एक बार चेक करने की आदत डालें व्यर्थ की फाइलों को हटाए व्यर्थ के हिसाब को भी हटाए समय-समय पर प्रॉपर फॉर्मेट कराएं सही ढंग से फॉर्मेट करने का तरीका सीख ले व्यर्थ की पेन ड्राइव फ्लॉपी आदि ना रखें समय-समय पर इनको भी चेक करना सीख लें अगर कोई कंप्यूटर पुराना हो गया हो और काम नहीं आ रहा तो उसको बेच दे। हार्ड डिस्क भी हर साल बदल दे।

f) **Email tally data never allow to send.**

g) करदाता को गाइड करें करें कि वह अपने परिवार में भी समय-समय पर सारी अलमारीयों को चेक करें व्यर्थ के पेपर व्यर्थ के **pen drive** आदि वहां से भी हटा दें याद रखें इनकी बह्रुत बड़ी कीमत

चुकानी पड़ती है जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता है कि यह कितनी बड़ी और समझदारी की राय है अगर समय पर नहीं समझे तो बहुत बड़ी कीमत दे कर ही इसको समझना पड़ता है ।

h) मित्रों जब भी आप कोई मूल्यवान संपति खरीदें जैसे कार ज्वेलरी चांदी सोफा जमीन या जायदाद आदि तो उसका बिल व भुगतान करने का सबूत बैंक पासबुक या स्टेटमेंट एवं जिसको भुगतान किया है उसकी रसीद एक अलग फाइल में डालने की आदत डाल दे उस फाइल में चाहे 10 साल पुराना भी बिल हो उसी में पड़ा रहने दे जब भी आयकर का छापा पड़ता है तो हर संपत्ति का जवाब देना पड़ता है अगर कोई संपति 10 साल पहले से खरीदी हुई है तो उसका कोई हिसाब नहीं देना पड़ता लेकिन यह तो साबित करना पड़ता है की इसे 10 साल पहले खरीदा गया था इसलिए बिल बहुत आवश्यक है कोई कारण से बिल नहीं मिल रहा है तो अन्य सबूत जैसे नगर निगम की कोई रसीद ।

i) इसी प्रकार से आपने कोई आयकर चुकाया है तो उसके चालान की प्रति को एक फाइल में डाले आयकर विभाग आपसे 15 साल पुराना या इससे भी ज्यादा पुराना डिमांड का नोटिस दे सकता है

क्योंकि कोई समय सीमा नहीं है अगर करदाता के पास इसके भुगतान की चालान नहीं है तो आपको मय ब्याज के उसको भरना पड़ेगा।

j) अगर करदाता किसी फर्म में पार्टनर है या डायरेक्टर है और अब करदाता का उससे संबंध कोई कारण से हट गया है तो करदाता तुरंत उस से ऑफिशियली अलग हो जाएं। कारण की अगर उसके छापा पड़ेगा तो आप पर भी छापा पड़ेगा। ध्यान रहे ज्यादातर पूरे ग्रुप पर छापा पड़ता है और विभाग इस बात का ध्यान नहीं रखता कि अभी आप उस में एक्टिव नहीं। है। इसलिए करदाता जिस जिस में पार्टनर है या डायरेक्टर है तो करदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए उस फर्म ने समय पर आयकर का विवरण भर दिया है तथा आयकर चुका दिया है। उस फर्म की आयकर विवरण, बैलेंस सीट, प्रॉफिट एंड लॉस एकाउंट, उस में विद्यमान खाते की कॉपी आदि अपने पास समय समय पर लेकर रखे

4. अब कुछ बातें करदाता के अधिकार के संबंधित

a) करदाता यह सुनिश्चित कर सकते हैं छापा मारने वालों के आई कार्ड को मांगकर देख कर जांच कर

की छापा मारने वाले आयकर अधिकारी ही है । करदाता सर्च वारंट भी देख सकते हैं। शुरू में करदाता उनकी भी तलाशी ले सकते हैं।

b) महिलाओं की जांच केवल महिला अधिकारी ही कर सकती है

c) अगर करदाता को बीमारी से संबंधित कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है तो करदाता को यह अधिकार है कि करदाता डॉक्टर को बुलाएं इससे करदाता को कोई नहीं रोक सकता।

d) बच्चे समय पर स्कूल जा सकते हैं।

e) मित्रों बहुधा होता है कि आयकर अधिकारी जो छापे या सर्वे के दौरान आते हैं वह एक टारगेट लेकर चलते हैं और करदाता को डराते हैं धमकाते हैं कहते करदाता को जेल हो जाएगी करदाता के अगर सीए जो भी है उसको भी कई बार फोन पर करदाता के सामने डराते हैं और किसी तरीके से करदाता को नर्वस करना चाहते हैं अगर करदाता घर पर कोई ब्लू फिल्म या विदेशी मदिरा हो या कोई ऐसा काम हो जिसमें आपको जेल हो सकती है तो उसको दिखा कर भी करदाता को डराते हैं उस उस समय करदाता को नर्वस होने की जरूरत नहीं है कारण यह है कि उन का एकमात्र टारगेट सरेंडर करा कर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाना है

करदाता यह बात अच्छी तरह से समझ लें कि जो आयकर अधिकारी करदाता को डराने आया है वह केवल करदाता को सरेंडर करा कर जाएगा छापा या सर्वे का काम वही खत्म नहीं होगा वह तो सिर्फ एक अपनी अप्रेजल रिपोर्ट बनाएगा और सेंट्रल सर्किल या करदाता के संबंधित वार्ड में अपनी रिपोर्ट देगा और उसके बाद कम से कम 1 साल बाद करदाता का केस का असेसमेंट होगा इसलिए आप जब भी सर्च हो या सर्वे हो तो शांति रखें और जब भी कोई करदाता को डराए तो आप उस को समुचित व्यवहार के लिए कहें।

f) अगर कोई बात करदाता को ध्यान में नहीं आ रही है करदाता को गाइड करें करें कि वह जल्दी-जल्दी में जवाब नहीं दें आपका छुटकारा जो ऑफिसर आए हैं उनके जाने से नहीं होगा बल्कि जो आप बोलोगे या स्टेटमेंट दोगे उसका जवाब प्रॉपर ढंग से कम से कम 1 साल बाद देने से ही होगा इसलिए करदाता कभी भी जल्दबाजी में कोई जवाब नहीं दें करदाता को अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप कहिए थोड़ा रुकिए या यह कहिए कि मैं बुक्स देख कर जवाब दे सकता हू या आप कह सकते हैं कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कृपया मुझे समय दीजिए याद रखें आप हर बात के लिए यह बात

नहीं कह सकते लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण बात के लिए करदाता को यही कहना है जो बात आपने कही है उसको आप अधिकारियों के जाने के तुरंत बाद लिख कर रख लें ताकि बाद में करदाता अपने सलाहकार से पूछकर उसके संबंधित जवाब तैयार कर सकते हैं क्योंकि समय बीतने के बाद में करदाता ने क्या कहा था आप भूल सकते हो

g) जो भी ज्वैलरी जब्त की जाती है उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाई जाती है उसको एक या अधिक बॉक्स में सील किया जाता है इस समय करदाता कृपया ध्यान रखें कि उनको सही ढंग से रखा जा रहा है या नहीं। करदाता को अधिकार है कि करदाता कहें कि इनको ठीक ढंग से रखें।कारण यह है कि अधिकारी उस समय कम-से-कम डब्बो में ज्वेलरी डालना चाहते हैं ताकि स्थान कम घेरे लेकिन उसके कारण बहुत सारी ज्वेलरी टूट जाती है करदाता आप को नुकसान हो सकता है

h) ज्वेलरी का जब मूल्यांकन किया जाता है उस समय अगर वह ज्वैलरी करदाता की नहीं है है तो करदाता स्पष्ट कर सकते हैं और अगर करदाता को ध्यान रहे जिस आदमी की ज्वेलरी है उसका नाम बता सकते हैं जब भी ज्वैलरी की मूल्यांकन होती है करदाता सावधानी बरतें इस समय अगर करदाता

के बयान भी लिए जा रहे हैं तो करदाता उनको निवेदन करते हैं कि एक बार मूल्यांकन का काम हो जाए तो उसके बाद बयान जारी रख सकते हैं । इसका कारण यह है कि बहुत बार आयकर अधिकारी भी चोर होते हैं और करदाता को बयानों में उलझाकर डायमंड गायब कर सकते हैं ऐसा पकड़ा भी गया है और जिनके यहां छापा पड़ता है उनको इसका बाद में अनुभव होता है इसलिए उस समय सावधान रहें

i) सर्वे या सर्च के दौरान स्टॉक का भी वेरिफिकेशन किया जाता है उस समय बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है अगर आयकर अधिकारी आइटम का नाम गलत लिख देंगे या आइटम की संख्या कम या ज्यादा लिख देंगे तो उसको बाद में सही कराना बहुत मुश्किल है जो वस्तु है उसकी दर या रेट तो आप बिल के द्वारा वेरीफाई करा सकते हैं लेकिन आइटम का नाम या उसकी संख्या को वेरीफाई कराने में बहुत ज्यादा मुश्किल है और आपको यह प्रमाणित करना पड़ेगा की स्टॉक का वेरिफिकेशन हीं गलत हुआ है इसलिए उस में बहुत सावधानी रखनी चाहिए अगर करदाता पर कोई अनुचित दबाव डालता है तो आपको और नहीं डरना चाहिए

5. जब आयकर का छापा पड़ता है या सर्वे होता है तो उसके बाद मैं आयकर अधिकारी को उसकी एक रिपोर्ट बनानी होती है उस समय कई बार आयकर अधिकारी को लगता है कि कोई बात छूट गई है तो कुछ अधिकारी आपके यहां वापस सर्च या सर्वे के लिए आ सकते हैं सो कृपया ध्यान रहे

मित्रों अब मैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवं उसके उत्तर जो कि विभिन्न न्यायालय ने दिए हैं प्रस्तुत कर रहा हूं जो हमें हमारे प्रैक्टिस के बीच में बहुत काम आते हैं

Practice Points

आयकर सर्च 132(8),132(9) and 132(10)

क्या आयकर छापे के दौरान बुक्स ऑफ एकाउंट्स और अदर डाक्यूमेंट्स सीज किए जा सकते हैं?

आयकर छापे के दौरान बुक्स आफ अकाउंट्स एवं अदर डॉक्यूमेंट्स 30 दिन के लिए सीज किए जा सकते हैं। उसके बाद में एप्रोप्रियेट अथॉरिटी से समुचित कारण बताते हुए अप्रूवल लेकर अगले 30 दिन तक और सीज रखा जा सकता है। ध्यान रहे एक्सटेंशन की एप्लीकेशन पहले लगानी होगी। करदाता चाहे तो Board को धारा 132 (10) में ऑब्जेक्शन की एप्लीकेशन लगा सकता है

करदाता को धारा 132(9) अधिकार होता है कि सीज हुई बुक्स आफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स की कॉपी या एक्सट्रैक्ट के लिए एप्लीकेशन व निर्धारित फीस भरकर ले।

153A,132(4) & statement

क्या होगा अगर कोई करदाता आयकर छापे के दौरान धारा 132(4) के अंतर्गत अनडिस्क्लोज्ड आय सरेंडर करता है?

अगर करदाता कॉरोबोरेटिव एविडेंसेस के साथ यह सिद्ध कर देता है कि अनडिस्क्लोज्ड आय सरेंडर जो की है वह गलत है।

Addition deleted

पूरा केस जानने के लिए पढ़ें

www.bpmundraca.com/it-cases-202-2020

bpmundra2@gmail.com

132, 153C, 147 & Incriminating material-7

क्या होगा अगर कोई इनक्रिमिनेटिंग मैटेरियल जो किसी और की सर्च में मिला उसमें प्रोसिडिंग धारा 153C में होगी या 147 में?

रामेश्वर के यहां छापा पड़ा वहां पर अनन्या के संबंधित इनक्रिमिनेटिंग मिला। कर निर्धारण अधिकारी ने रिएसेसमेंट प्रोसिडिंग के लिए धारा 147 में नोटिस दिया और आर्डर धारा 148 में पास करते हुए एडिशन किया। आईटीएटी दिल्ली ने 20 February 2020 को फैसला देते हुए कहा कि jurisdiction u/s 147 में bed in law and fact है। प्रोसीडिंग धारा 153C में होनी चाहिए थी।

एसेसमेंट ऑर्डर रद्द किया गया

पूरा केस जानने के लिए पढ़ें

www.bpmundraca.com/it-cases-203-2020

bpmundra2@gmail.com

132, 158BC r.w.s. 153BD & Incriminating material-5

क्या होगा अगर कोई इनक्रिमिनेटिंग मैटेरियल जो की अनुपम की सर्च में मिला एवं अनुपम यह कहता है कि यह rough working to reach at calculation ?

अनुपम के यहां पड़े छापे में मिली डायरी में करदाता वीरेंद्र के द्वारा खरीद की गई प्रॉपर्टी के नाम के साथ जो डिटेल मिली थी उसके बारे में अनुपम ने कहा कि यह rough working to reach at calculation मात्र थी। कर निर्धारण अधिकारी मात्र इस आधार पर अनुपम के एसेसमेंट ऑर्डर में एडिशन नहीं कर सकता।

Addition deleted

पूरा केस जानने के लिए पढ़ें
www.bpmundraca.com/it-cases-204-2020
bpmundra2@gmail.com

132, 147 & Incriminating material-4

क्या होगा अगर कोई इनक्रिमिनेटिंग मैटेरियल जो किसी और की सर्च में मिला जिस पर करदाता का नाम नहीं है ना ही उसकी हैंडराइटिंग का है और ना ही कर दाता के सिग्नेचर उस पर है?

भीखु भाई के यहां पड़े छापे में कागजात मिले उसके आधार पर धारा 147 में मुकेश का केस खोला गया उन कागजात पर मुकेश भाई का नाम नहीं था ना ही उसकी हेड राइटिंग थी और ना ही उसके सिग्नेचर थे और जिस पार्टी का नाम था उस पार्टी से मुकेश का कोई व्यापार भी नहीं था। गुजरात हाईकोर्ट ने 25 फरवरी 2020 को फैसला देते हुए कहा कि ऐसे केस में कोई एडिशन नहीं हो सकता जब तक यह साबित नहीं हो जाएगी यह मुकेश के कागजात है।

Addition deleted

पूरा केस जानने के लिए पढ़ें
www.bpmundraca.com/it-cases-205-2020
bpmundra2@gmail.com

132(4),127 transfer of jurisdiction

क्या होगा जब एसेसमेंट एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किया जाता है?

When the assessment of an Assessee is being transferred from one Commissionerate to another, the requirement of hearing and following the principle of natural justice is inbuilt in the statutory provisions contained in Section 127 of the Act. Therefore the giving of notice to the assessee containing the reasons and the statements or even the gist of the statements to the extent relevant for the proposed action is a basic postulate. The authority concerned is obliged to consider the objections, if any, and thereafter, reach a finding one way or the other. The impugned order is quashed as the procedure was not followed.

पूरा केस जानने के लिए पढ़ें
www.bpmundraca.com/it-cases-206-2020

धारा 153C सेटिस्फेक्शन नोट की तारीख देखे

वे कौन से 6 साल के एसेसमेंट उस दूसरे person के जिनके होंगे जिनके इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल किसी और की सर्च के द्वारा पाए गए?

धारा 153C एसेसमेंट उन करदाताओं के होते हैं जिनके यहां सर्च तो नहीं हुई लेकिन उनके डॉक्यूमेंट किसी और की सर्च के दौरान पाए गए।
उनके लिए जो 6 वर्ष के एसेसमेंट डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन से काउंट होते हैं। जैसे सर्च 17th अप्रैल 2016 को राजू के यहां हुई और वहां रामेश्वर के डॉक्यूमेंट पाए गए और रामेश्वर का सेटिस्फेक्शन नोट मई 2019 में बना तो रामेश्वर के लिए 6 साल 2019, 2018,2017,2016,2015 एवं 2014 होगा। इसलिए अगर कोई इनक्रिमिनेटिंग मैट्रियल 2014 के पहले का है तो भी एसेसमेंट नहीं होगा और 17 अप्रैल 2016 के बाद का भी नहीं होगा क्योंकि कोई इनक्रिमिनेटिंग मेटेरियल नहीं होगा।

AO केवल 2014 2015 2016 में ही एसेसमेंट कर सकता है

पूरा केस जानने के लिए पढ़ें
www.bpmundraca.com/it-cases-207-2020
bpmundra2@gmail.com

153A & Jurisdiction when

no incriminating material found
Addition is made only on statement

क्या होगा अगर कोई इनक्रिमिनेटिंग मैटेरियल सर्च में नहीं मिलता है और केवल स्टेटमेंट के आधार पर jurisdiction assume करके एडिशन कर दिया जाता है?

hold that Ld. AO has no jurisdiction and therefore entire Addition was deleted

पूरा केस जानने के लिए पढ़ें
www.bpmundraca.com/it-cases-208-2020
bpmundra2@gmail.com

Cash seized during search S. 132B

आयकर छापे के दौरान जो रोकड़ सीज किया जाता है उसका क्या होगा?

आयकर छापे के दौरान जब्त रोकड़ पर ध्यान देने योग्य बातें:

1. उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता।
2. एडवांस टैक्स में उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता।
3. वर्तमान टैक्स लायबिलिटी से एडजेस्ट की जा सकती है।
4. धारा 153A order की टैक्स डिमांड एडजेस्ट करने के लिए आर्डर होते ही तुरंत एप्लीकेशन लगानी चाहिए।
5. जैसे ही सारी डिमांड खत्म हो तो बैलेंस जब्त रोकड़ को रिलीज करने की एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए।
6. धारा 153A के रिटर्न भरते समय जब्त रकम का एडजस्टमेंट मानकर टैक्स नहीं भरने आयकर रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न माना जा सकता है एवं करदाता इन डिफॉल्ट डिक्लेअर हो सकता है।

153A & Incriminating material and statement -1

क्या होगा अगर कोई इनक्रिमिनेटिंग मैटेरियल हिमांशु के यहां छापे के दौरान पाया गया और हिमांशु बयान देता है कि यह पवन कुमार का है। Ld. AO के पास इन दोनों एविडेंस के अलावा कुछ भी नहीं है?

Addition deleted

पवन कुमार दुआ, हिमांशु कोहली एवं अन्य के आयकर छापा पड़ा। हिमांशु कोहली के यहां जो इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल पाया गया उसके बारे में हिमांशु कोहली ने स्टेटमेंट दिया कि 70% इनकम पवन कुमार दुआ की है और 30% हिमांशु की कोड वर्ड में जो नाम लिखा था पवन कुमार दुआ माना गया। कर निर्धारण अधिकारी के पास इनक्रिमिनेटिंग मैट्रियल एवं स्टेटमेंट के अलावा और कोई एविडेंस नहीं था। आईटीऐटी दिल्ली ने 28 अप्रैल 2020 को फैसला दिया कि ऐसी स्थिति में पवन कुमार दुआ के आय में एडिशन सही नहीं है डिलीट किया जाए

पूरा केस जानने के लिए पढ़ें

www.bpmundraca.com/it-cases-209-2020

bpmundra2@gmail.com

153A & Incriminating material-3

क्या होगा अगर कोई इनक्रिमिनेटिंग मैटेरियल जो सर्च में मिला वह आइटम पहले से ही आइटीआर/बैलेंस शीट जो आईटीआर के साथ डिपार्टमेंट को सबमिट की थी उसमें दिखाया हुआ है?

ऐसे कैसेज में अगर उस साल का एसेसमेंट पेंडिंग नहीं है एवं असेसमेंट abated भी नहीं हुआ है। तो

Addition deleted

पूरा केस जानने के लिए पढ़ें

www.bpmundraca.com/it-cases-210-2020

bpmundra2@gmail.com

132, 153A and completed assessment

क्या होगा अगर कर निर्धारण अधिकारी कंप्लीटेड असेसमेंट के साल में भी बिना कोई इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिले एडिशन इस आधार पर करना चाहता है की प्रोसिडिंग के दौरान डाक्यूमेंट्स मिले?

करदाता का एसेसमेंट धारा 143(1) में हो चुका था यानी कंप्लीटेड एसेसमेंट के अंदर कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 68 में एडिशन किया जबकि उस वर्ष के संबंधित कोई इनक्रिमिनेटिंग मैट्रियल नहीं था। ऐसे मामले में दिल्ली ट्रिब्यूनल ने 30 सितंबर 2020 को करदाता के फेवर में फैसला देते हुए कहा की डिपार्टमेंट की एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर खारिज किया है

Addition deleted

पूरा केस जानने के लिए पढ़ें

www.bpmundraca.com/it-cases-211-2020

bpmundra2@gmail.com

132, 147 & Incriminating material

क्या होगा अगर कोई 61 लाख की कैंसिलड रिसिप्ट किसी और की सर्च में मिलती है और करदाता उसमें में से केवल 11लाख सरेंडर कर देता है ?

शशिकांत के यहां पड़े छापे में कुल 61 लाख के सौदे के एवज में 11 लाख रोकड़ प्राप्ति की संजीव द्वारा हस्ताक्षरित रशीद मिली जो कि रोमी लाल करदाता के लिए थी। रोमी लाल ने 11 लाख सरेंडर कर दिए बाकी 50 लाख के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग ने भी नहीं पूछा। 1 साल 10 महीने बाद भी रोमी लाल ने 11 लाख सरेंडर के स्टेटमेंट को तो कंफर्म किया। इन्वेस्टिगेशन विंग या कर निर्धारण अधिकारी ने खरीदार के स्टेटमेंट नहीं लिए। ITAT Delhi 28.9.2020.

50 लाख के एडिशन को delete किया गया

पूरा केस जानने के लिए पढ़ें

www.bpmundraca.com/it-cases-212-2020

bpmundra2@gmail.com

132 No Incriminating material

क्या होगा अगर कोई incriminating material नहीं मिलता है फिर भी AO एडहॉक बेसिस पर एडिशन कर देता है ?

आईटीआई दिल्ली ने 19 मार्च 2020 को फैसला देते हुए कहा कि अगर कोई इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं मिलता है तो AO कोई भी तरह का एडहॉक एडिशन नहीं कर सकता।

एडिशन को delete किया गया

पूरा केस जानने के लिए पढ़ें
www.bpmundraca.com/it-cases-213-2020
bpmundra2@gmail.com

132(1)((iii) Seizure of stock

क्या सर्च के दौरान व्यापारी का स्टॉक सीज किया जा सकता है? क्या ज्वैलर का स्टॉक चीज किया जा सकता है?

व्यापारी का स्टॉक सीज नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार ज्वैलर का ज्वेलरी का स्टॉक भी सीज नहीं किया जा सकता। धारा132(1)(iv) के प्रोवीजो से व्यापारी को प्रोटक्शन दिया हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 9 जनवरी 2020 को इसको कंफर्म किया है

पूरा केस जानने के लिए पढ़ें
www.bpmundraca.com/it-cases-214-2020
bpmundra2@gmail.com

आयकर छापे के दौरान रोकड़ के अलावा जब्त असेट्स को छुड़ाने का तरीका instruction no 286/6/2008 Dated 21st Jan, 2009

1. [illegible] unconditionally ownership land valuation of the assets करदाता मानेगा।
2. उस वैल्यू के बराबर की राशि पीटी अकाउंट में डीडी yah bank guarantee जमा कराने को तैयार रहेगा।
3. वह जमा धारा 132B के नियमों के अनुसार टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट हो सकेगी।
4. Commissioner or chief commissioner की अप्रूवल पर अन्य जब्त ऐसैट्स रिलीज की जा सकती है।
5. इस संबंध में एफिडेविट duly notarized.

132(1)((c) ऑथराइजेशन ऑफ सर्च

क्या warrant of authorisation of search उस समय दिया जा सकता है जब "reason to believe" non-existence है ?

साथियों, सर्च होने के पहले वारंट ऑफ ऑथराइजेशन इशू किया जाता है और यह उसी समय इशू किया जा सकता है जब competent अधिकारी के पास "reason to believe" हो की करदाता ने टैक्स चोरी की है। यह कम ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर "reason to believe" है कि नहीं तो वह ऑथराइजेशन एवं सर्च दोनों रद्द करने योग्य है।

पूरा केस जानने के लिए पढ़ें
www.bpmundraca.com/it-cases-214-2020
bpmundra2@gmail.com

आयकर सेटलमेंट एप्लीकेशन U/s 245C

जब भी छापे के दौरान करदाता को यह महसूस हो कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है तो सेटलमेंट एप्लीकेशन धारा 245C में लगानी चाहिए। विशेष तौर पर क्या ध्यान रखना चाहिए?

ऐसी परिस्थिति में manner of earning income should be explained in in statement of facts of the application भले ही धारा 132 (4) 131 के अंतर्गत दिए स्टेटमेंट में manner of earning income was not explained. अगर ऐसा नहीं किया गया तो धारा 245D(1) की स्टेज में ही एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है या फिर फाइनल ऑर्डर धारा 245D(4) स्टेज पर भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है

छापे के दौरान मिली ज्वेलरी या अन्य संपत्ति को एक्सप्लेनड असेट्स साबित करने का तरीका

1. करदाता के पास खरीद का बिल हो एवं भुगतान किया हुआ बुक्स ऑफ एकाउंट्स में हो।
2. अगर भुगतान बैंकिंग चैनल से है जब तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती अन्यथा भुगतान का सोर्स बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
3. अगर आपने पुरानी तारीख में कोई valuation करवाया है तो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट तथा वैल्युएशन सर्टिफिकेट की फीस जमा की रसीद।
4. Valuer का कंफर्मेशन और जरूरत पड़ने पर उसको प्रस्तुत करना।
5.इस संबंध में एफिडेविट duly notarized.